राज्य सभा

संसदीय समाचार

भाग - 2

सं. 61160] **बृहस्पतिवार, 7 अक्तूबर, 20**21

सं. 61160 *सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग (एच एंड एस)*

कम्प्यूटर उपस्कर का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008 में संशोधन

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राज्य सभा के सदस्यों के लिए कंप्यूटर उपस्कर के प्रावधान संबंधी समिति ने 29 जुलाई, 2021 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ कंप्यूटर उपस्कर का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008 के तहत कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए वित्तीय हकदारी योजना के माध्यम से सदस्यों को कंप्यूटर उपस्कर की सुविधा प्रदान करने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए हैं:

(i) समिति को अब से **'राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति'** के रूप में जाना जाएगा;

(ii) कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए सदस्यों की वित्तीय हकदारी को बढ़ा दिया गया है;

(iii) अपनी वित्तीय हकदारी का उपयोग करते हुए ई-रीडर उपकरण, जिसके लिए 50000/- रु. निर्धारित किए जांएगे, की खरीद की अनिवार्य आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तथापि, ई-रीडर उन मदों की सूची में बना रहेगा जिन्हें खरीदा जा सकता है; और

(iv) कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए प्रोफार्मा बीजक जमा करके भुगतान किए जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

2. तदनुसार, आवश्यक संशोधनों के परिणामस्वरूप, राज्य सभा के माननीय सभापति द्वारा यथा अनुमोदित दिनांक **9 सितंबर, 2021** से प्रभावी संशोधित

'कम्प्यूटर उपस्कर का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008' और सदस्यों द्वारा 'कम्प्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए प्रक्रिया' (नियम 4 के उप नियम (vi) के तहत) निम्नानुसार हैं:-

कम्प्यूटर उपस्कर का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008
(9 सितंबर, 2021 तक यथासंशोधित)

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्प्यूटर उपस्कर का प्रावधान (राज्य सभा के सदस्य और अधिकारी) नियम, 2008 है।

(ii) ये राज्य सभा के सदस्यों और राज्य सभा सचिवालय के अधिकारियों पर लागू होंगे।

(iii) ये 1 अप्रैल, 2008 से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों और प्रक्रियाओं में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(i) **"उपाबंध"** से इन नियमों का कोई उपाबंध अभिप्रेत है।

(ii) "**समिति**" से राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति अभिप्रेत है।

(iii) "**कम्प्यूटर उपस्कर**" से किसी भी नाम से ज्ञात आंकड़ों के संचयन, उनकी पुन: प्राप्ति, संसाधन, वीक्षण, अन्तरण और छपाई तथा इसमें उपाबंध में विनिर्दिष्ट सभी उपस्कर शामिल हैं।

(iv) **"जीईएम"** से सरकारी ई-मार्केटप्लेस अभिप्रेत है जो आम उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री और खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक ऑनलाइन पोर्टल है।

(v) **"जीएफआर"** से सामान्य वित्तीय नियम अभिप्रेत है, जो सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों से निपटने के दौरान भारत सरकार के नियमों और आदेशों का संकलन है।

(vi) इन नियमों के प्रयोजनार्थ "**सदस्य**" से राज्य सभा का वर्तमान सदस्य अभिप्रेत है।

(vii) "**एनआईसी**" से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र अभिप्रेत है।

(viii) "**अधिकारी**" से राज्य सभा सचिवालय का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम का न हो।

(ix) "**योजना**" से, नियम 4, 5 और 6 में यथा वर्णित कम्प्यूटर उपस्कर के लिए राज्य सभा के सदस्यों की वित्तीय हकदारी की योजना अभिप्रेत है।

(x) "**सचिवालय**" से राज्य सभा सचिवालय अभिप्रेत है।

(xi) "**सॉफ्टवेयर**" से ऐसा प्रोगाम या प्रोग्रामों का समूह अभिप्रेत है जिसका प्रयोग कम्प्यूटर चलाने में किया जाता है, और इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सम्मिलित है।

(xii) "**एसटीएसी**" से नियम 8 के अधीन गठित स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति अभिप्रेत है।

3. कम्प्यूटर उपस्कर का प्रावधान

कम्प्यूटर उपस्कर सदस्यों और अधिकारियों को उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि वे अपने कृत्यों/कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

4. कम्प्यूटर उपस्कर के लिए राज्य सभा के सदस्यों की वित्तीय हकदारी

(i) सदस्यों को वित्तीय हकदारी की योजना के माध्यम से कंप्यूटर उपस्कर उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ii) इस योजना के अधीन कंप्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए किसी सदस्य की वित्तीय हक़दारी निम्नलिखित होगी:

(क) 2,50,000/- रुपये, यदि उसका राज्य सभा में निर्वाचन/नाम-

निर्देशन तीन वर्ष से अधिक के कार्यकाल के लिए हुआ हो।

(ख) 2,00,000/- रुपये, यदि उसका राज्य सभा में निर्वाचन/नाम-निर्देशन तीन वर्ष या उससे कम के कार्यकाल के लिए आकस्मिक रिक्ति के उप-चुनाव में हुआ हो।

(ग) अतिरिक्त 1,50,000 रुपये सदस्य को उसके कार्यकाल के तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् उपलब्ध होंगे बशर्ते शेष कार्यकाल की न्यूनतम अवधि तीन माह से कम नहीं हो।

(iii) समिति उप-नियम (ii) में विनिर्दिष्ट राशियों की पर्याप्तता की समीक्षा वार्षिक रूप से करेगी और संशोधन, यदि कोई हो, भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(iv) इस योजना के अधीन, सदस्य उपाबंध में विनिर्दिष्ट कंप्यूटर उपस्कर की मदों में से किसी या सभी की खरीद करने के हक़दार होंगे। समिति वित्तीय हक़दारी की समीक्षा करते समय प्रति वर्ष इस बात की समीक्षा करेगी कि किसी मद को विनिर्दिष्ट सूची में जोड़ा जाए या उसमें से उसे हटाया जाए।

(v) सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय उपाबंध में विनिर्दिष्ट कंप्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर का कोई भी मॉडल खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। सदस्य उपाबंध में विनिर्दिष्ट कंप्यूटर उपकरण का कोई भी मेल (मिक्स) खरीदने के लिए उतने ही स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि प्रतिपूर्ति/भुगतान की राशि समिति द्वारा यथा-निर्धारित 'हक़दारी' से अधिक नहीं होगी।

परन्तु यह कि यदि सदस्य द्वारा खरीदे गए किसी उपस्कर की लागत उसकी वित्तीय हक़दारी से अधिक होती है, तो उपर्युक्त उपस्कर की लागत और सदस्य की हक़दारी के बीच के अंतर की राशि सदस्य द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।

(vi) समिति, समय-समय पर, सदस्यों द्वारा कंप्यूटर उपस्कर की खरीद को विनियमित करने वाली प्रक्रिया और इस संबंध में लगाए जाने वाले प्रतिबंधों, यदि कोई हों, को अधिसूचित करेगी।

(vii) इस योजना के अधीन किसी सदस्य द्वारा खरीदा गया कंप्यूटर उपस्कर उसके सदस्य नहीं रहने के बाद भी उसके पास ही रहेगा।

5. कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए प्रतिपूर्ति

नियम 4 के उप-नियम (ii) और (v) के उपबंधों के अध्यधीन, कोई सदस्य कंप्यूटर उपस्कर खरीद कर और प्रतिपूर्ति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अनुभाग को भुगतान का सबूत भेज कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग द्वारा प्रमाणित किए जाने पर, संसद सदस्य वेतन और भत्ता अनुभाग सदस्य को प्रतिपूर्ति करेगी; अथवा

6. कंप्यूटर उपस्कर का अनुरक्षण और बीमा

यह सदस्य पर निर्भर करेगा कि क्या वह इस योजना के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटर उपस्कर का बीमा करवाना चाहेगा और यदि वह ऐसा चाहेगा तो उसका स्वयं बीमा करवा लेगा। इसी तरह, कम्प्यूटर उपस्कर के अनुरक्षण की व्यवस्था सदस्य को स्वयं करनी होगी।

7. अधिकारियों के लिए कंप्यूटर उपस्कर का प्रावधान

(i) समिति के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर किए गए अनुमोदन के अनुसार अधिकारियों के आवासों पर प्रयोग हेतु कंप्यूटर उपस्करों को उपलब्ध कराया जाएगा तथा उनकी खरीद और आपूर्ति संबंधी दिशानिर्देश/कार्यविधि समय-समय पर समिति के तैयार की जाएगी।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार कंप्यूटर उपस्कर खरीदे जाएंगे।

बशर्ते कि एकायत्त मदों की खरीद के मामले में, समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से उपस्कर को विनिर्माता के अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से खरीदा जा सकता है।

(iii) हैंडहेल्ड कम्यनिकेटर/स्मार्ट फोन को छोड़कर, जिसके अनुरक्षण के लिए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था होगी, सचिवालय द्वारा आपूर्ति किए गए उपस्कर का अनुरक्षण सचिवालय द्वारा प्रदान किया जाएगा।

(iv) कोई अधिकारी आपूर्ति किए जाने के तीन वर्षों बाद कंप्यूटर उपस्कर के उन्नयन का अनुरोध कर सकता है। यदि कंप्यूटर उपस्कर का उन्नयन तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है तो उसे नये उपस्कर से प्रतिस्थापित किया जाएगा। अधिकारी को प्रतिस्थापित कंप्यूटर उपस्कर प्रापण के समय पर उपस्कर की मूल लागत के 10% का भुगतान करके खरीदना होगा।

(v) अधिकारी की अधिवर्षिता पर और/या सचिवालय को छोड़ने की स्थिति में अधिकारी को कंप्यूटर उपकरण अपने पास रखने की अनुमति होगी। कंप्यूटर उपकरण की खरीद के लिए अधिकारियों से ली जाने वाली लागत लिखित मूल्य पर प्रतिवर्ष 60% की दर से मूल्य-ह्रास के आधार पर परिकलित की जाएगी। मूल्य-ह्रास के परिकलन के समय साफ्टवेयर तथा अनुरक्षण लागत पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एस.टी.ए.सी.)

(i) समिति एक स्थायी तकनीकी सलाहकार समिति (एस.टी.ए.सी.) गठित करेगी जिसमें इस सचिवालय तथा राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के अधिकारी शामिल होंगे। समिति एस.टी.ए.सी. की संरचना में उस रूप में परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र होगी जिसे वह उपयुक्त समझे।

(ii) "एस.टी.ए.सी." समिति को निम्नलिखित के संबंध में सलाह देगी :

(क) विशेषतया सदस्यों की वित्तीय हकदारी के पुनरीक्षण के संबंध में स्कीम की वार्षिक समीक्षा और उपाबंध में कंप्यूटर उपकरण की सूची में परिवर्द्धन/विलोपन/आशोधन; और

(ख) कोई ऐसा अन्य मामला जिसे समिति इसे भेजे।

9. प्रशिक्षण

सचिवालय सदस्यों और अधिकारियों को कंप्यूटर उपस्कर/विशिष्ट रूप से निर्मित (कस्टमाइज्ड)सॉफ्टवेयर तथा ई-गवर्नेंस में अद्यतन विकास के प्रयोग की जानकारी देने के लिए एनआईसी और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा।

10. नियमों में छूट का प्रावधान

इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सभा के सभापति समिति द्वारा संस्तुत किए जाने पर किसी नियम के अनुप्रयोग में छूट दे सकते हैं।

11. संशोधन का प्रावधान

राज्य सभा के माननीय सभापति के अनुमोदन से इन नियमों में संशोधन किया जा सकता है।

12. निरसन

संसद सदस्यों और अधिकारियों के लिए कंप्यूटर-नियम तथा प्रक्रियाएं 1995 के उपबंध, इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व उन नियमों के अधीन किए गए किसी भी कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

उपाबंध

कम्प्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर की मदें
[नियम 4 का उपनियम (iv) देखें]

1. डेस्कटॉप कंप्यूटर
2. लैपटॉप कंप्यूटर
3. पेन ड्राइव
4. प्रिंटर (डैस्कजेट/लेजरजेट/मल्टी-फंक्शन/पोर्टेबल)
5. स्कैनर
6. यू.पी.एस.(केवल डेस्कटॉप के साथ)
7. हैंडहैल्ड कम्यूनिकेटर/कंप्यूटर/स्मार्ट फोन
8. डाटा इन्टरनेट कार्ड
9. एमएस ऑफिस सुईट
10. लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और स्पीच रिकोगनिशन सॉफ्टवेयर
11. ई-रीडर
12. कम्प्यूटर मॉनीटर
13. एक्स्टरनल हार्ड ड्राइव
14. आईटी उपस्कर के लिए सहायक वस्तुएं/आवश्यक एसेसरिज
    (i) एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर
    (ii) स्पीकर
    (iii) हेडफोन
    (iv) माइक्रोफोन
    (v) वेब कैमरा
    (vi) ब्लूटूथ हेडसेट/एयरपॉड्स
    (vii) स्टाइलस (कंपैटिबल)
    (viii) बाहरी कीबोर्ड, स्मार्ट कीबोर्ड

(ix) लैपटॉप बैग
(x) कूलिंग पैड
(xi) फोन/ई-रीडर कवर
(xii) टेम्पर्ड ग्लास/स्क्रीन गार्ड
(xiii) वारंटी एक्सटेंशन पैक

15. समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अन्य उपस्कर

....

प्रक्रिया

संसद सदस्यों द्वारा कंप्यूटर उपस्कर की खरीद की प्रक्रिया

(नियम 4 के उपनियम (vi) के अधीन)

I. ग्राह्य हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर

सदस्यों द्वारा नियमों के अधीन निम्नलिखित कंप्यूटर उपस्कर और सॉफ्टवेयर की खरीद की जा सकती है:

(i) डेस्कटॉप कंप्यूटर

(ii) लैपटॉप कंप्यूटर

(iii) पैन ड्राइव

(iv) प्रिंटर (डैस्कजेट/लेजरजेट/मल्टी-फंक्शन/पोर्टेबल)

(v) स्कैनर

(vi) यू.पी.एस.(केवल डेस्कटॉप के साथ)

(vii) हैंडहैल्ड कम्यूनिकेटर/कंप्यूटर/स्मार्ट फोन

(viii) डाटा इन्टरनेट कार्ड

(ix) एमएस ऑफिस सुईट

(x) लैंग्वेज सॉफ्टवेयर और स्पीच रिकोगनिशन सॉफ्टवेयर

(xi) ई-रीडर

(xii) कम्प्यूटर मॉनीटर

(xiii) एक्सटरनल हार्ड ड्राइव

(xiv) आईटी उपस्कर के लिए सहायक वस्तुएं/आवश्यक एसेसरिज

1. एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर
2. स्पीकर्स
3. हेडफोन
4. माइक्रोफोन
5. वेब कैमरा
6. ब्लूटूथ हेडसेट / एयरपॉड्स
7. स्टाइलस (कंपैटिबल)
8. बाहरी कीबोर्ड, स्मार्ट कीबोर्ड
9. लैपटॉप बैग
10. कूलिंग पैड
11. फोन/ई-रीडर कवर
12. टेम्पर्ड ग्लास/स्क्रीन गार्ड
13. वारंटी एक्सटेंशन पैक

(xv) समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन से कोई अन्य उपस्कर

2. सदस्यों को उपरोक्त पैरा । में यथाउल्लिखित स्वीकार्य कंप्यूटर उपकरण की खरीद के संबंध में चयन की पूरी स्वतंत्रता होगी, और मूल उपकरण विनिर्माताओं या उनके अधिकृत विक्रेताओं से प्रतिष्ठित ब्रांडों के किसी भी मॉडल को खरीद सकते हैं। सदस्य अपनी पसंद के किसी भी विक्रेता से भी उपकरण खरीद सकते हैं; तथापि, ऐसी स्थिति में, वे उत्पादों के असली होने, वारंटी कवर और बिक्री उपरान्त सेवा सहायता की गुणवत्ता के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें।

3. अपनी वित्तीय पात्रता का प्रयोग करते हुए सदस्यों द्वारा खरीदे गए कंप्यूटर उपस्करों की वांरटी सेवा, रखरखाव और बीमा संबंधी प्रबंध सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

4. सदस्य द्वारा डाटा इंटरनेट कार्ड की खरीद के मामले में, ऐसी टैरिफ योजनाओं की प्रतिपूर्ति,जिनमें डाटा इंटरनेट कार्ड की लागत निहित है, की जाएगी।

5. सदस्यों को नियमों में विनिर्दिष्ट योजना के अधीन खरीदे गए कम्प्यूटरों में उपयोग के लिए अनुज्ञप्त सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए।

II. कार्यकाल के अंतिम 3 महीनों के दौरान उपस्करों की खरीद पर प्रतिबंध

6. कोई सदस्य अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों के दौरान अपनी वित्तीय हकदारी में से कोई भी कंप्यूटर उपस्कर खरीदने और उसका दावा प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है। तदनुसार, सदस्यों से उनके कार्यकाल के अंतिम तीन महीनों के दौरान कंप्यूटर उपस्कर की खरीद के लिए प्राप्त दावों पर विचार नहीं किया जाएगा, और यदि दावा प्राप्त होता है, तो इसे सदस्य को वापस कर दिया जाएगा।

III. क्रय का प्रमाण

7. नियम 5 के अनुसरण में, प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा किए गए क्रय की प्रतिपूर्ति की मांग करते समय के मूल रूप में बिल (बिलों) को प्रस्तुत करना होगा। विक्रेता द्वारा निर्गत बिल/बीजक/कोई अन्य दस्तावेज क्रय का अनुमेय प्रमाण होगा बशर्ते कि इसमें निम्नलिखित शामिल/परिलक्षित हों:

(i) सदस्य का नाम;

(ii) बेचे गए प्रत्येक उपकरण की क्रम संख्या;

(iii) यह तथ्य कि वस्तुएं सुपुर्द कर दी गई हैं; और

(iv) यह तथ्य कि पूरी राशि का भुगतान हो गया है।

IV. कठिनाइयों को दूर करना

8. यदि इस प्रक्रिया को लागू करने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सभा की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ऐसे प्रावधान कर सकते हैं, जो नियमों के प्रावधानों के असंगत नहीं है, जो उस कठिनाई को दूर करने में आवश्यक अथवा समयोचित प्रतीत हो।

जगदीश कुमार,
कृते *महासचिव*